विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक 12443 / एनआरईजीएस–एमपी / एनआर–3 / 16 भोपाल, दिनांक 9 / 12 / 2016

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर. (मध्यप्रदेश)
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (मध्यप्रदेश)
3. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (समस्त)

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्रामीण क्रीडांगन उपयोजना–मानक डिजाईन एवं प्राक्कलन।

संदर्भः– शासन का पत्र क्रमांक 9543 / एनआरईजीएस–एमपी / एनआर–3 / 13 दिनांक 12.12.2013.

––0––

राज्य शासन द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं:–

I. खेल का मैदान ग्राम में ऐसे स्थान पर विकसित किया जाए जिसका सहजता से उपयोग किया जा सके। स्कूल एवं पंचायत भवन से लगे प्रांगण खेल का मैदान विकसित करने के लिए उपयुक्त होते हैं और उनका उपयोग भी सहज होता है।

II. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ने खेल मैदान के स्थल चयन तथा विकास के लिए तकनीकी दिशा–निर्देश जारी किए हैं जो विभागीय वेबसाईट prd.mp.gov.in पर उपलब्ध हैं।

II. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ने खेल मैदान की मानक डिजाईन, प्राक्कलन तथा लागत अनुमोदित की है जो इस पत्र के परिशिष्ट–1 एवं 2 में संलग्न है। मानक आकार के खेल मैदान बनाए जाने की दशा में पृथक से तकनीकी स्वीकृति एवं प्राक्कलन बनाया जाना आवश्यक नहीं होगा। प्रमुख अभियंता द्वारा जारी मानक प्राक्कलन एवं लागत को ही प्रशासकीय स्वीकृति के लिए मान्य किया जा सकेगा।

IV. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा दो मानक डिजाईन बनाई गयी हैं। इनके आकार क्रमशः 100X100 मीटर तथा 80X60 मीटर है। खेल मैदान के आकार में मौके की स्थिति के अनुसार तब्दीली की जा सकती है बशर्ते कि खेल मैदान का क्षेत्रफल 4,000 वर्गमीटर से कम न हो।

V. बैठक व्यवस्था हेतु 10X1 मीटर की ईंट / क्रांक्रीट की बैंच एवं पृथक–पृथक पुरूष तथा महिला मूत्रालय के निर्माण के लिए लागत रू. 33,000 / – निर्धारित की जाती है। खेल का मैदान विकसित करने के लिए प्रति वर्गमीटर रू. 32 / – मानक लागत निर्धारित की जाती है।

09.12.16

VI. खेल मैदान 100X100 मीटर अर्थात 10,000 वर्गमीटर का होने की दशा में मैदान की लागत रू. 3,20,000 एवं बैठक व्यवस्था तथा मूत्रालय निर्माण की लागत रू. 33,000 कुल लागत रू. 3,53,000 होगी। यदि खेल मैदान का आकार 80X60 मीटर अर्थात 48,00 वर्गमीटर हो तो लागत रू. 1,53,600+33,000 कुल रू. 1,86,600 होगी।

2. राज्य शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्नानुसार समयसीमा निर्धारित की जाती है:–

(अ) जिन पंचायतों में खेल के मैदान विकसित नहीं किए गए हैं उनमें खेल मैदान विकसित करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा उपयुक्त स्थल का चयन करने के लिए समयसीमा– 31 दिसंबर 2016.

(ब) जिन पंचायतों में खेल के मैदान विकसित नहीं किए गए हैं उनमें तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति देने के लिए समयसीमा– 15 जनवरी 2017.

(स) निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए समयसीमा– 26 जनवरी 2017.

(द) निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए समयसीमा– 31 मई 2017.

3. आपसे अपेक्षा है कि जिले के सभी ग्राम पंचायतों में वर्षा ऋतु के पूर्व खेल मैदान बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करें। वीडियो कांफ्रेंस में मैं प्रगति की नियमित समीक्षा करूंगा।

संलग्न–उक्तानुसार।

09.12.16

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृ.क्रं 12444/एनआरईजीएस–एमपी/एनआर–3/16 भोपाल, दिनांक 9/12/2016

प्रतिलिपि–

1. संभागायुक्त समस्त।
2. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. ओ.एस.डी., मा. मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
4. संयुक्त आयुक्त, समन्वय, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
5. अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल, मध्यप्रदेश।
6. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मध्यप्रदेश।
8. समस्त ग्राम पंचायत को

वेबसाइट पर प्रकाशन से।

विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश